न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 24/2020

किशोरीलाल पुत्र श्री कुन्दनलाल, जाति अहीर, निवासी ढाणी दोचाना, उप तहसील सिंघाना, जिला झुंझुनू।

—अपीलांट

—बनाम—

राजस्थान सरकार, जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील सिंघाना, जिला झुंझुनू

— रेसपोंडेंट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 06.07.2020 उनवानी सरकार बनाम किशोरीलाल
अं0 धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मु0 नं0 22/20
बअदालत नायब तहसीलदार सिंघाना

उपस्थितिः—

1. श्री विजयपाल, एडवोकेट ——— ———————— अपीलांट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार,,राजकीय अभिभाषक ——————— रेस्पोंडेंट की ओर से ।

—निर्णय— दिनांक — 05.01.2021

उक्त उनवानी अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.07.2020 उनवानी सरकार बनाम किशोरीलाल अं0 धारा 91 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 बअदालत नायब तहसीलदार सिंघाना के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि —अदालत मातहत ने अपीलांट को जमीन हाल खसरा नंबर 492/202 किस्म बंजड़, सरहद मौजा ढाणी दोचाना उप तहसील सिंघाना पर अतिक्रमी मानकर बेदखल करने व 1 रूपये आर्थिक दण्ड से दण्डित करने का आदेश निर्णय दिनांक 06.07.2020 के द्वारा पारित किया है। अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। तथाकथित अतिक्रमित स्थल पर अपीलांट गत 50 वर्ष से अधिक समय से काबिज है और उक्त स्थान को पशुओं को बांधने तथा प्शओं का चारा डालने व खाद कुरड़ी ईंधन इत्यादि डालने के काम में निरन्तर लेता आ रहा हैऔर उक्त स्थान पर पहले चारों तरफ छड़ियों की बाड़ रही है। अपीलांट का नया कब्जा

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

नहीं है । इस प्रकार अपीलांट को अतिक्रमी मानने में काननी गलती की गई है। विवादित जमीन हाल खसरा नंबर 492/202 रकबा 0.76 हैक्टर किस्म बंजड़ सरहद मौजा ढाणी दोचाना के सम्पूर्ण भू–भाग पर गांव की आबादी है तथा पशुधन इत्यादि के बाड़े बने हुये हैं। अपीलांट को अतिक्रमी माने जाने की सूरत में अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । तमाम कार्यवाही कोविड–19 के चलते की गई है। पटवारी हल्का व भू0 अभिलेख निरीक्षक बतौर साक्षी तथा कथित अतिक्रमण रिपोर्ट को साबित करने के लिए अदालत मातहत के समक्ष पेश नहीं हुये। निर्णय जैर बहस के आधार स्पष्ट नहीं है कि अपीलांट का कब्जा नियमन योग्य क्यों नहीं है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष ग्राम के मौजिज व्यक्तियों को कब्जे के संबंध में शपथ पत्र दिलवाये है जिनकी व्यख्या निर्णय जैर बहस में नहीं की गई है। विवादित जमीन खसरा नंबर 492/202 के सम्पूर्ण भू–भाग की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये बिना ही अदालत मातहत ने केवल मात्र अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही कर कानूनी गलती की है। अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2020 को अपास्त किया जावे। विकल्प में अपीलांट का यह भी निवेदन करता है कि उक्त जमीन पर अपीलांट का नाजायज कब्जा माना जाता है तो उस सूरत में कब्जे का नियमन अपीलांट के हक में किये जाने का आदेश तहसीलदार बुहाना को राजस्थान सरकार के परिपत्रों के मुताबिक किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि– अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की एक पक्षीय रिपोर्ट को सही मानने में कानूनी गलती की है। तथाकथित अतिक्रमित स्थल पर अपीलांट गत 50 वर्ष से अधिक समय से काबिज है और उक्त स्थान को पशुओं को बांधने तथा प्शओं का चारा डालने व खाद कुरड़ी ईंधन इत्यादि डालने के काम में निरन्तर लेता आ रहा है और उक्त स्थान पर पहले चारों तरफ छड़ियों की बाड़ रही है। अपीलांट का नया कब्जा नहीं है । विवादित जमीन हाल खसरा नंबर 492/202 रकबा 0.76 हैक्टर किस्म बंजड़ सरहद मौजा ढाणी दोचाना के सम्पूर्ण भू–भाग पर गांव की आबादी है तथा पशुधन इत्यादि के बाड़े बने हुये हैं। अपीलांट को अतिक्रमी माने जाने की सूरत में अपीलांट का कब्जा नियमन

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया । तमाम कार्यवाही कोविड–19 के चलते की गई है। अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष ग्राम के मौजिज व्यक्तियों को कब्जे के संबंध में शपथ पत्र दिलवाये है जिनकी व्यख्या निर्णय जैर बहस में नहीं की गई है। विवादित जमीन खसरा नंबर 492/202 के सम्पूर्ण भू–भाग की भौतिक स्थिति की रिपोर्ट मंगवाये बिना ही अदालत मातहत ने केवल मात्र अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही कर कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2020 को अपास्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नायब तहसीलदार सिंघाना ने अपीलांट के द्वारा राजकीय भूमि ग्राम ढाणी दोचाना के खसरा नंबर 492/202 रकबा 0.76 है किस्म बंजड भूमि में से 54 मीटर पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। प्रश्नगत भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की न होकर राजकीय बंजड़ भूमि है जो आबादी से लगती हुई है। अपीलांट का कथन है कि अतिक्रमित बताये गये भू–खण्ड का अपीलांट को गत खसरा नंबर 788 में से 20.12.1974 को 150 वर्गगज का पट्टा जारी किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें अतिक्रमित स्थल गत खसरा नंबर 788 में से 20.12.1974 को 150 वर्गगज का नायब तहसीलदार का पट्टा जारी किया हुआ होना बताया है तथा पट्टे की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है, जिससे विवादित स्थल पर अपीलांट का पुराना कब्जा होने के संबंध में प्रथमदृष्टया साक्ष्य होना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिंघाना के मुकदमा संख्या 22/2020 निर्णय दिनांक 06.07.2020 सरकार बनाम किशोरीलाल निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे स्वयं अतिक्रमण स्थल का मौका निरीक्षण करें तथा अतिक्रमित स्थल आबादी भूमि से लगती हुई होने पर आबादी विस्तार प्रयोजन हेतु परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पूर्ण विवेचना करते हुये पुनः

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

विधि सम्मत कार्यवाही करें । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू